



राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2025

जयपुर, दिनांक : 24-07-2025

आज्ञा

निम्नांकित राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्यहित में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

क्रसं	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	नवीन पद	टिप्पणी
1	श्रीमती हरबिन्द्र दिल्लन सिंह	रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	उपायुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर, कोटा	श्रीमती मनीषा तिवारी के स्थान पर
2	श्रीमती निधि उड़सरिया	उपखण्ड अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ़)	सहायक कलक्टर, भादरा (हनुमानगढ़)	रिक्त पद पर

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19/07/2025 के द्वारा श्रीमती मनीषा तिवारी, आर.ए.एस. के रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा से उपायुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर, कोटा ; श्री विमलेन्द्र सिंह राणावत, आर.ए.एस. के उपखण्ड अधिकारी, पाली से उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा एवं श्री दिनेश बिश्रोई, आर.ए.एस. के उपखण्ड अधिकारी, बाली (पाली) से अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् -कम-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस. एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा), जोधपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण / पदस्थापन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 12 कार्मिक (क-4) अनुभाग में सेवा अभिलेख संधारित किये जाने वाले सहायक अनुभागाधिकारी / लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में यदि किसी पद का वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) का चैनल निर्धारित नहीं है तो उसकी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव